वाद अन्तर्गत धारा 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः—25.01.2021

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी का प्रस्तुत किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— गांव मैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा व खसरा

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

नम्बर 265 रकबा 6 बिस्वा ढाणी कुल 87 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि के मूल रूप से दो सह खातेदार खींयाराम व भोमाराम पिसरान उदाराम जाट थे जिन दोनों के बीच उक्त भूमि के विभाजन का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया एवं खसरा नम्बर 275 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा कुल 43 बीघा 10 बिस्वा खींयाराम के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 275/1 रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 279/1 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 265 रकबा 6 बिस्वा ढाणी कुल रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा भूमि भोमाराम के हिस्से में रखी गई। उपरोक्त नामान्तरकरण द्वारा की गई कार्यवाही की जरिये दोनों सह खातेदारों के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे बाबत् ही विभाजन हुआ मौके पर विभाजन नहीं किया गया एवं न ही राजस्व नक्शे में कोई तरमीम की गई। इस प्रकार उपरोक्त बंटवाड़ा केवल जमाबन्दी तक ही सीमित रहा। मौके पर पक्षकारान आज दिन भी सामलाती काश्त करते है। सह खातेदार खींयाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खींयाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा अभिलिखत खातेदार है प्रतिवादी संख्या पांच 1/2 भाग का सह खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहुत पैसे वाले व्यक्ति है तथा दिनांक 09.11.2015 को वादी जब लसन की बुवाई शुरू कर रहा था तो उन्होंने वादी के साथ बदसलुकी की एवं कहा कि वादी को न तो फसल बोने देंगे एवं काटने देंगे प्रतिवादीगण के रूख को देखते हुए वादी के खातेदारी अधिकारों पर खतरा मंडराने लगा है। वादी ने इस्तदुआ चाही कि मैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 70 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 265 रकबा 6 बिस्वा ढाणी कुल 87 बीघा 1 बिस्वा का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन करवाया जावें वादी का 1/10 हिस्सा पृथक करवाया जाकर अलग खाता कायम किया जावे बाद विभाजन वादी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें।

वादी का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान ने वकालात नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 से 7 के तामिल सुदा नोटिस प्राप्त हुए न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगाने पर भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने इकबाली जवाब पेश कर माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में खाता अलग दर्ज कर इसी कदर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का निवेदन है किया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जो EXP-1 है। जिस पर ए से बी हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। जमाबन्दी की

सहायक कलेक्टर, तिंवरी

Scanned with CamScanner

प्रमाणित प्रतिलिपि जो EXP-2 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति जो EXP-3 है जो प्रदर्शित करवाया गया।

बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस पर मनन किया। दिनांक 26.03.2019 को प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी किया गया तहसील तिंवरी से विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया। जो दिनांक 18.03.2020 को प्राप्त हुआ। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया गया। अतः बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 18.03.2020 को स्वीकार किया गया।

–::आदेश::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 43 बीघा 10 बिस्वा मौजा ग्राम भैसेर कोटवाली, तहसील तिंवरी बाबत् बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी के हक हिस्से व कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा इसी आशय का अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 18.03.2020 को निर्णय का भाग समझा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

25.1.21

आज दिनांक 25.01.2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner